मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना

राज्य की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा संपोषित 'मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना' का संचालन किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के मार्गदर्शन में महिला विकास निगम द्वारा संयोजित इस योजना में महिलाओं को उनके अधिकारों एवं अवसरों के प्रति क्षमता निर्माण/विकास कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस योजना का लाभ गाँवों की महिलाओं मुख्यतः कमजोर और वंचित समुदाय से जुड़ी महिलओं को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना राज्य में महिला विकास के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को संबोधित करती है और समुदाय आधारित संगठनों और नागर समाज संगठनों के साथ साझेदारी राज्य भर में अनुपालित हो रही है।

आर्थिक सशक्तिकरण योजनायें

महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन, पोषण तथा क्षमता निर्माण

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत् स्वयं सहायता समूह के गठन/पोषण तथा क्षमता निर्माण का कार्य राज्य के चिन्हित जिलों के प्रखण्डों में संचालित किया जा रहा है। समाज के अभिवंचित निर्धन समुदाय की महिलाओं को समूहीकृत कर सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के प्रति क्षमता विकास कर मुख्यधारा में शामिल करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिला विकास निगम विभिन्न कार्यकलापों को प्रोत्साहित कर रही है। निगम का मानना है कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा संसाधन तक पहुँच के लिए सक्षम बनाने का सहायक हो सकते हैं। आयवर्द्धक गतिविधियों के माध्यम से समूह से जुड़ी महिलाओ की आय वृद्धि करने के प्रति उन्हें प्रेरित करना ताकि उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके, यह भी प्रयास निगम द्वारा किया जा रहा है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उनके स्वयं सहायता समूह का गठन करना एवं पूर्व में गठित स्वयं सहायता समूहों का पोषण करने का निगम द्वारा एक सफल प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत

- नये समूहों का गठन उन्हीं क्षेत्रों में किया जा रहा है, जहाँ निगम द्वारा पहले से भी समूह बनाए गए हैं ताकि कोई भी महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्या बनने से वंचित न रह जाए।
- पुराने समूहों को आत्म निर्भर बनाने के लिए उनका निरंतर पोषण करना तथा उनका बिहार स्वावलम्बी अधिनियम 1996 के तहत् स्वयं सहायता समूहों के महासंघ के रुप में पंजीकरण कराना।
- उद्यमिता प्रोत्साहन की दिशा में स्व–नियोजन को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण पर बल देना एवं व्यक्तिगत आयवर्द्धक गतिविधि को सुदृढ़ करने हेतु अवसरों का ज्ञान कराना।
- स्वयं सहायता समूहों को कारगर बनाने की दिशा में उनके लिए प्रशिक्षण, उत्पादन एवं विपणन की आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना।

- उत्पादन एवं विपणन केन्द्र की स्थापना करना।

परिचालन : इस योजना का परिचालन निगम द्वारा स्वयं सहायता समूहों के महासंघों और स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से किया जाता है। निगम पुराने कार्यक्षेत्र में नए समूह के निर्माण के लिए स्वयं सहायता समूहों के महासंघों से साझेदारी करता है। साथ ही नए कार्यक्षेत्र में बिहार सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयनित स्वयं सहायता समूहो के निर्माण एवं पोषण में विशिष्ट योग्यता रखने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं से अनुबंध कर नए स्वयं सहायता समूहों का निर्माण एवं पोषण किया जाता है।
लाभार्थी : महिला विकास निगम द्वारा चिन्हित जिलों के प्रखण्डों में निवास करने वाली वैसी महिलायें जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही हों अथवा अभिवंचित समुदाय से संबंद्ध हो स्वयं सहायता समूह से जुड़ कर योजना का लाभ उठा सकती हैं।

स्वयं सहायता समूहों/सहकारी समितियों को कार्यकुशल बनाने के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण

गठन और पोषण की प्रक्रिया के तहत् निर्मित स्वयं सहायता समूहों को निगम प्रखण्ड स्तर पर महासंघ के गठन हेतु क्षमता विकास तथा प्रोत्साहित करता है और उनके प्रखण्ड स्तरीय संगठन को इस योजना के तहत् तकनीकी सलाह एवं सहयोग प्रदान किये जाते हैं। निबंधन की प्रक्रिया बिहार स्वावलम्बी अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुरूप किये जाते हैं। इसके तहत् गठित सहाकारी समितियों के सांगठनिक विकास एवं विभिन्न आयवर्द्धक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए आधारभूत संरचना के साथ ही तकनीकी सहयोग भी प्रदान किये जाते है। इस प्रक्रिया के तहत् निगम कार्यों को भी संपादित करता है–

- राज्य में स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं को पटना एवं उसके आस–पास के कुछ बड़े शहरों में पहुँचाना तथा एक संगठित बाजार में उचित दर पर उपलब्ध कराना एवं गाँव की उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना।
- जीविकोपार्जन के लिए कौशल/क्षमता के आधार पर आर्थिक निर्भरता से मुक्ति दिलाना।
- माँग के अनुसार उत्पादन के लिए पहल करना तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के उपरांत उत्पादित वस्तुओं के विपणन के लिए बाजार की सुविधा उपलब्ध कराना।

परिचालन : सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयानित विशेषज्ञ व तकनीकी संस्थाओं के सहयोग निगम स्वयं सहायता समूहों की सहकारी समितियों को आधारभूत संरचना सहयोग एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है। साथ ही समय समय पर प्रशिक्षण/क्षमता विकास/विशेष कार्यक्रम आदि आयोजित कर उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है।
लाभार्थी : निगम के गठन एवं पोषण प्रक्रिया के तहत् संगठित महासंघ।

स्वयं सहायता समूहों/सहकारी समितियाँ के लिए अवसरों की उपलब्धता

स्वयं सहायता समूहों और उनकी प्रखण्ड स्तरीय सहकारी समितियों के स्वावलम्बी बनाने के उद्देय से निगम उन्हें कार्यकुशल बनाने के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण, सेवा प्रक्षेत्र के लिये प्रशिक्षण एवं कार्य अनुसंधान तथा परियोजना कार्यान्वयन के लिये अध्ययन एवं परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में तकनीकी

एवं वित्तिय सहयोग प्रदान करता है। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ा कर उनके लाभ से समूहों की सदस्यों को जोड़ने के प्रयास भी किसे जाते हैं।

परिचालन : सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयानित विशेषज्ञ व तकनीकी संस्थाओं के सहयोग निगम स्वयं सहायता समूहों की सहकारी समितियों को आधारभूत संरचना सहयोग एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है। साथ ही समय समय पर प्रशिक्षण/क्षमता विकास/विशेष कार्यक्रम आदि आयोजित कर उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है।

लाभार्थी : निगम के गठन एवं पोषण प्रक्रिया के तहत् संगठित महासंघ एवं सदस्य स्वयं सहायता समूह।

प्रखंड स्तरीय सहकारी समितियों को प्रारंभिक पूँजीगत कोष निर्माण के लिए अनुदान

प्रारंभिक पूंजी कोष 'मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना' के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। इसे स्वयं सहायता समूह की अपने प्रखण्ड स्तरीय महासंघ सहकारी समितियों के माध्यम से सीधे वित्तीय और तकनीकी संसाधनों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका आधार सहभगिता पूर्ण सूक्ष्म नियोजन के अनुसार सदस्यों की मांग है। प्रति समूह अधिकतम् रुपये 20000/– दी जाने वाली यह राशि इतनी अधिक नहीं है कि परियोजना के अन्दर आने वाले सभी परिवारों की गरीबी को मिटाने में मदद कर सके, इसलिए इसका उपयोग उत्प्रेरक की तरह उनकी ऋण साख बनाने में किया जाता है। जिससे वे बाद में मुख्य धारा की ऋण देने वाली संस्थाओं, जैसे कि बैंक आदि से ऋण ले सकें। इसका उद्देश्य है गरीबों की आजीविका को बेहतर और उनकी संस्था को संवहनीय बनाना।

परिचालन : प्रारंभिक पूँजी कोष की राशि बिहार स्वाबलम्बी अधिनियम 1996 के अधीन निबंधित स्वयं सहायता समूहों के महासंघों को अनुदान के रुप में दिये जाते हैं। जिसे सदस्य स्वयं सहायता समूह को सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया के तहत् सदस्यों की मांग के अनुरुप ऋण के रुप में दिया जाता है।

लाभार्थी : निगम द्वारा संपोषित स्वयं सहायता समूहों के महासंघ और उनके सदस्य।

सेवा प्रक्षेत्र के लिए प्रशिक्षण

महिला विकास निगम उचित डिग्री प्राप्त गरीब महिलाओं एवं किशोरियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं व्यवसाय कौशल पर उनके क्षमता विकास के उद्देश्य से सेवा प्रक्षेत्र में प्रशिक्षण की योजना चला रहा है। योजना के तहत् चयनित किशोरियों एवं महिलाओं को हाउस कीपिंग, व्यूटीशियन, कम्प्यूटर एवं सेल्स मैनेजमेंट का प्रशिक्षण कार्यक्षेत्र में विशिष्ट अनुभव एवं योग्यता धारक प्रशिक्षण संस्थानों/संस्थाओं द्वारा दिलवाया है। यह प्रशिक्षण चयनित प्रशिक्षुओं के लिए निःशुल्क होता है।

परिचालन : इस योजना का संचालन बिहार सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयनित सेवा संवर्ग में व्यावसायिक संस्थान द्वारा किया जाता है, जिसे कार्यक्षेत्र में उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने में विशेषज्ञता और अनुभव हो।

लाभार्थी : इस योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों की विधवाओं एवं विकलांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा वैसी महिला एवं किशोरी, जिनकी पारिवारिक आय साठ हजार रूपये प्रति वर्ष से कम हो या

जो अनाथाश्रम, बालगृह तथा रक्षा गृह की निवासी है। लाभार्थी के चयन में आरक्षण के सिद्धांत का पालन किया जाएगा तथा विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए अलग–अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जाएगी।

सामाजिक सशक्तिकरण योजनायें

महिला हेल्पलाईन योजना

महिला हेल्पलाईन द्वारा हिंसा की शिकार महिलाओं तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। समाज में पीड़ित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों में हेल्पलाईन योजना के संचालन करने की दिशा में पहल किये जा रहे हैं। हेल्पलाईन महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है तथा उनके साथ हो रही विभिन्न प्रकार की हिंसा के खिलाफ मदद करता है। दहेज प्रताड़ना से पीड़ित महिलाओं को हेल्पलाईन के द्वारा सहायता दी जाती है।

परिचालन : जिला प्रशासन के नेतृत्व में राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयनित विशिष्ट योग्यता धारक स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से महिला हेल्पलाईन का संचालन जिला मुख्यालयों में किया जा रहा है।

लाभार्थी : किसी भी प्रकार की हिंसा, शोषण एवं उत्पीड़न से पीड़ित महिलायें जिला मुख्यालयों में कार्यरत् महिला हेल्पलाईन में संपर्क कर सकती हैं।

अल्पावास गृह

उत्पीड़ित महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जिला स्तर पर एक अल्पावास गृह की स्थापना की जा रही है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1986 हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसारर महिलाओं एवं किशोरियों को खरीद–फरोख्त से बचाने तथा घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करना अल्पावास गृह का मुख्य उद्देश्य है।

परिचालन : जिला प्रशासन के नेतृत्व में राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयनित विशिष्ट योग्यता धारक स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से अल्पावास गृह का संचालन जिला मुख्यालयों में किया जा रहा है।

लाभार्थी : किसी भी प्रकार की हिंसा, शोषण एवं उत्पीड़न से पीड़ित महिलायें, उनके संबंधी, आदि जिला मुख्यालयों में कार्यरत् अल्पावास गृह में संपर्क कर सकती हैं।

पालनाघर की स्थापना

कामकाजी महिलाओं जिन्हें अपने कार्य के दौरान 5 वर्ष अथवा उससे कम उम्र के बच्चे को कार्यस्थल पर रखने में असुविधा होती है, जिनके परिवार में बच्चे की देखरेख करने वाला उनके सिवाय अन्य कोई नहीं हो, राज्य सरकार ने वैसे बच्चों के लिये राज्य में 100 पालनाघर की स्थापना करने का निर्णय लिया है तथा पालनाघर की प्रति इकाई में 10 बच्चे के लिये स्वादिष्ट एवं पौष्टिक अल्पाहार, अन्य उपरकणों की व्यवस्था रहेगी। खिलौने एवं खेलने के अन्य साधनों के साथ–साथ मनोरंजन का प्रावधान भी किया गया है।

परिचालन : राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयनित विशिष्ट योग्यताधारक अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा सरकारी–गैर सरकारी संस्थाओं में पालना घर संचालित किये जाने हैं।

लाभार्थी : सरकारी–अर्ध सरकारी निकायों की वैसी कामकाजी महिलायें जिन्हें अपने कार्य के दौरान 5 वर्ष अथवा उससे कम उम्र के बच्चे को कार्यस्थल पर रखने में असुविधा होती है तथा जिनके परिवार में बच्चे की देखरेख करने वाला उनके सिवाय अन्य कोई नही हो।

सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम

सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कानून का व्यावहारिक ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए निगम द्वारा जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटकों के जरिये सक्षम वातावरण के निर्माण के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में दहेज उत्पीड़न, ट्रैफिकिंग, बाल–विवाह, कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न, भ्रूण हत्या, कानूनी साक्षरता, आर्थिक स्वावलम्बन के मुद्दों पर लोक कलाओं की प्रस्तुति की जा रही है। साथ ही समुदाय और अन्य हितभागियों के साथ सीधे संवाद स्थापित कर उन्हें महिलाओं के प्रति व्यवहार परिर्वतन हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

परिचालन : राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थायें जो सामाजिक जागरुकता कार्यक्रम यथा लोक नाट्य प्रदर्शन की योग्यता एवं अनुभव रखती हों राज्य के विभिन्न जिलों में गतिविधियां संचालित कर रही हैं।

लाभार्थी : योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं के लिए एक सक्षम वातावारण का निर्माण करना है और संबंधित सूचनाओं को महिलाओं और हितभागियों के बीच प्रचारित करना है।

समाज के विशेष समुदाय वर्ग यथा भिखारी, नट, विपरीत परिस्थितियों में रह रहे समुदाय विशेष का लोक कलाओं और प्रदर्शनकारी विधाओं में क्षमता विकास कर उनका सांस्कृतिक दल तैयार करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। समुदाय संवर्ग की पहचान कर उनके बीच की प्रदर्शनकारी सांस्कृतिक प्रतिभाओं में व्यावासयिक गुणवत्ता का विकास किया जाना है, ताकि उनकी कला आजीविका का एक माध्यम बन सके और विकास की मुख्यधारा में उन्हें शामिल कराया जा सके।

परिचालन : राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयनित विशेष समुदाय समूह के साथ काम करने की विशेषज्ञता रखने वाली सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से यह कार्य किया जाना है।

लाभार्थी : भिखारी, रेड लाईट क्षेत्र में निवास करने वाली महिलायें, नट, महादलित, अभिवंचित समुदाय समूह के कलाकार।

सामाजिक पुनर्वास कोष

अनैतिक मानव पणन कानून 1956 के तहत् पीड़ित महिलाओं एवं उनके बच्चों का के त्वरित पुनर्वास (चिकित्सकीय, शैक्षणिक, आर्थिक एवं समाजिक) आवश्यकताओं को पूरा करने अस्तित्व परियोजना के तहत् आर्थिक सहायता प्रदान की जानी है, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में संरक्षण एवं सुरक्षा की अत्यंत आवश्यकता है।

परिचालन : जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सामाजिक पुर्नवास समिति गठित की गई है और प्रबंध निदेशक महिला विकास द्वारा सभी जिलों को अनुपातिक राशि आवंटित की जा चुकी है।

लाभार्थी : अनैतिक मानव पणन रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत् पीड़ित महिला

रक्षा गृह

जो महिलाओं एवं किशोरियाँ अनैतिक मानव पणन रोकथाम अधिनियम, 1956 एवं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत उत्पीड़ित हैं, उन्हें पुनर्वासित करने के उद्देश्य से एक रक्षा गृह स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके तहत उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाया जा सकेगा। चालू वित्तीय वर्ष मे पटना जिले में पचास विस्तर वाले एक रक्षा गृह की स्थापना का प्रक्रियाधीन है।

परिचालन : राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयनित स्वयंसेवी संस्थायें जो रक्षा गृह के संचालन एवं समन्वयन में विशेष योग्यता रखती हैं के माध्यम से संचालन किया जाएगा।

लाभार्थी : अनैतिक मानव पणन रोकथाम अधिनियम 1956 एवं घरेलु हिंसा से महिलाओं की संरक्षा अधिनियम 2005 के तहत् पीड़ित महिला।

कामकाजी महिलओं के लिए छात्रावास

कामकाजी महिलायें जो अपने घर–परिवार से दूर शहरों में, चाहे वे किसी अस्पतालों, महाविद्यालयों, विद्यालयों अथवा किसी कार्यालय में कार्यरत हों, जो विधवा या परित्यक्ता हैं, किसी संस्था में नियोजित हों, उनके लिये सरकार द्वारा महिला छात्रावास का संचालन करने का प्रस्ताव है। इस छात्रावास की एक इकाई में तत्काल 50 विस्तर का प्रावधान रहेगा। चालू वर्ष में इसे पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा जिले में प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

परिचालन : राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयनित स्वयंसेवी संस्थायें जो रक्षा गृह के संचालन एवं समन्वयन में विशेष योग्यता रखती हैं के माध्यम से संचालन किया जाएगा।

लाभार्थी : सरकारी, गैर सरकारी एवं स्वशासी निकायों के कार्यालयों में काम करने वाली महिला।

सांस्कृतिक सशक्तिकरण

महिला सांस्कृतिक मेला का आयोजन

मेला का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के परम्परागत कौशल तथा लोक चित्रकला, लोकनाट्यकला, लोकगीत, सुगम संगीत, लोकसंगीत को जीवित रखना है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा उनके उत्पादन, आदि का प्रदर्शन करना भी मेला का एक अहम उद्देश्य है। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सामाजिक जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएँगे।

परिचालन : राजधानी पटना में विशेषज्ञ एजेंसियों के सहयोग से निगम मेला का आयोजन करेगा और राज्य के अन्य प्रमण्डल मुख्यालयों में मुख्यालय के जिला पदाधिकारी के माध्यम में महिला सांस्कृतिक मेलों का आयोजन किया जाना है।

सृजन (लोक कलाओं का पुर्नरुथ्थान)

राज्य की विलुप्त होती सांस्कृतिक परम्पराओं और इन कलाओं से जुड़े समुदाय के बीच कला की व्यावसायिक गुणवत्ता को बढ़ा कर तथा आजीविका के साथ जोड़ कर राष्ट्रीय पहचान स्थापित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

परिचालन : निगम द्वारा करवाये गए सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित कलाओं की क्षमता विकासित की जानी है ताकि कलाओं में व्यावसायिक कलात्मकता और गुणवत्ता का विकास हो साथ इन्हे सरकार के विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों में स्थान दिला कर पहचान को स्थापित करना है।
लाभार्थी : राज्य की विलुप्त होती कलाओं से जुड़े मूल कलाकार एवं समुदाय।

स्वयं सहायता समूह को नवाचारी कार्यों के लिए पुरस्कार की योजना

महिला स्वयं सहायता समूहों को नवाचारी योजना के प्रस्तुतीकरण के लिए प्रखंड में एक तथा प्रत्येक जिले तीन–तीन पुरस्कार की व्यवस्था की जाएगी। प्रखंड स्तरीय पुरस्कार 5,000 रू0 का होगा तथा जिला स्तरीय पुरस्कार 20,000 रू0 15,000 रू0 एवं 10,000 रू0 के होंगे।

नवाचारी योजना (Innovative Scheme)

महिला सशक्तिकरण की दिशा में नवाचारी प्रयोगों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से स्वयं सहायता समूहों, सहकारिता आधारित संघों एवं निबंधित गैर सरकारी संगठनों को नवाचार योजना की प्रस्तुति करने के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार से सहायता देने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न वर्ग की गरीब प्रताड़ित एवं उद्यमी महिलाओं को उनके द्वारा किये गये नये तरीके के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिये सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस योजना को चलाया जाएगा।
परिचालन : राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयनित स्वयंसेवी संस्थायें जिनके पास महिलाओं के विकास एवं समेकित सशक्तीकरण की प्रभावी और परिणामदायक अवधारणा प्रस्ताव हो, उनका विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन कर आवधारणा को सहयोग व समर्थन कर अनुपालित किया जाना है।

बिहार राज्य महिला सूचना एवं संसाधन केन्द्र

इस योजना के अंतर्गत महिलाओं एवं किशोरियों के क्षमता निर्माण मुद्दों पर आधारित इकाईयों द्वारा जीविकोपार्जन/स्थिति सर्वेक्षण के लिये विभिन्न तकनीकों का अनुसंधान किया जायेगा तथा महिला/किशोरियों के विकास/कल्याण के लिए कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा की जानी है।
परिचालन : राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया के तहत् चयनित स्वयंसेवी संस्थायें/संस्थान जिनके पास सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण का प्रभावी और परिणामदायक अवधारणा प्रस्ताव हो, उनका विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन कर आवधारणा को सहयोग व समर्थन कर अनुपालित किया जाना है।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

योजना का उद्देश्यः

- कन्या भ्रूण हत्या को रोकना
- कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना
- लिंग अनुपात में वृद्धि लाना
- जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना

लक्ष्य समूह

- मुख्यमंत्रीी कन्या सुरक्षा योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार को देय
- इस योजना का लाभ 22.11.2007 के पश्चात जन्म लेने वाली बच्चियों को देय
- इस योजना का लाभ देय तिथि के पश्चात् जन्मी एक परिवार की मात्रा दो जीवित कन्या सन्तानों को देय

अनुदान का स्वरूपः

- इस योजना के तहत् कन्या को जन्म के समय रू0 2000/– {रूपये दो हजार मात्र} की राशि प्रति कन्या एक मुश्त अनुदान के रूप में यूटीआई म्यूचुअल फंड के चिल्ड्रेन कैरियर बैलेन्स्ड प्लान में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

पात्रता

- इस योजना का लाभ सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को ही देय है।
- बच्ची के जन्म का विधिवत् निबंधन जन्म के 01 वर्ष के अन्दर कराया गया हो।
- योजना के लाभार्थी की आयु सीमा 0 से 3 वर्ष होनी चाहिये।

आवेदन की प्रकियाः

- लाभ लेने हेतु आवेदन पत्रा आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्राप्त करें।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर आवेदन पत्रा मुð त उपलब्ध है।
- आवेदन पत्रा विहित प्रपत्रा में भर कर आंगनबाड़ी सेविका के पास जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त करें।
- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इस हेतु स्वीकृति पदाधिकारी होंगे।
- स्वीकृत पदाधिकारी क्रमवार आवेदन पत्रा को पंजीकृत करेंगे।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक कागजात

- बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति

भुगतान की प्रकियाः

प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुकी बच्ची के 18 वर्ष आयु पूरा कर लेने के पश्चात् लाभार्थी द्वारा परिपक्वता राशि आहरण पत्र उनके बैंक खाता संख्या यूटीआई म्यूचुअल फंड को समर्पित किया जायेगा। तत्पश्चात उस प्रमाण पत्र की परिपक्वता राशि यूटीआई म्यूचुअल द्वारा कन्या को उपलब्ध कराई जायेगी।